Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 29-2020/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, FEBRUARY 25, 2020 (PHALGUNA 6, 1941 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 25th February, 2020

No. 06-HLA of 2020/17/3586.— The Prohibition of Child Marriage (Haryana Amendment), Bill, 2020, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 06- HLA of 2020

THE PROHIBITION OF CHILD MARRIAGE (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2020

A

BILL

further to amend the Prohibition of Child Marriage Act, 2006, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Prohibition of Child Marriage (Haryana Amendment) Act, 2020. Short title.

2. After sub-section (1) of section 3 of the Prohibition of Child Marriage Act, 2006, the following sub-section shall be inserted, namely:- Amendment of section 3 of Central Act 6 of 2007.

"(1A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), every child marriage solemnized on or after the date of commencement of the Prohibition of Child Marriage (Haryana Amendment) Act, 2020, shall be void ab initio.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Hon'ble Supreme Court while deciding the Writ Petition (civil) No. 382 of 2013 titled as "Independent Thought versus UOI and Anr." declared that the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 being a special law prevails over Indian Penal Code, 1860 and sex with a minor wife aged between 15 to 18 years as per the prevailing exception 2 of section 375 of IPC was arbitrary and violative of the Constitution. Accordingly, the Hon'ble Apex Court invalidated the existing exception 2 of Section 375 of Indian Penal Code vide which sexual intercourse between a man and his wife being a girl of aged between 15 to 18 years is not a rape as per Section 375 but as per the provisions of Section 6 of POCSO Act, this falls within the definition of rape.

After considering both the legal provisions in this regard thoroughly, the Hon'ble Apex Court reached a conclusion that the best solution has been found by the State of Karnataka- the State Legislature of Karnataka has inserted sub- section (1A) in Section 3 of the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 thereby declaring that henceforth every child marriage that is solemnised is void ab initio**.** Meaning thereby any marital relationship between a man and a girl of aged between 15 to 18 years shall be void and it will make any sexual intercourse as an offence defined as rape in POCSO Act. The relevant extract of the Karnataka amendment reads as follows:-

"(1A) Notwithstanding anything contained in section 3 sub section (1) of Prohibition of Child Marriage Act, 2006 every child marriage solemnized on or after the date of coming into force of the Prohibition of Child Marriage (Karnataka Amendment) Act, 2016 shall be void ab initio".

The Hon'ble Apex Court has also observed that it would be wise for all the State Legislatures to adopt the route taken by the State of Karnataka to make the child marriages void and thereby ensure that the sexual intercourse between a girl child and her husband is punishable offence under the POCSO Act and the IPC.

Therefore, it is necessary to amend section 3 (1) of the Prohibition of Child Marriage Act, 2006.

Hence, the Bill.

KAMLESH DHANDA,
Minister of State for Women and Child Development,
Haryana.

Chandigarh:
The 25th February, 2020.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2020 का विधेयक संख्या 06-एच०एल०ए०

बाल विवाह प्रतिशेध (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2020

बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम, 2006, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए

विधयेक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम बाल विवाह प्रतिशेध (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है।

2007 का केन्द्रीय अधिनियम 6 की धारा 3 का संशोधन।

2. बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम, 2006, की धारा 3 की उप–धारा (1) के बाद, निम्नलिखित उप–धारा रखी जाएगी, अर्थात्:–

''(1क) उप–धारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, बाल विवाह प्रतिषेध (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रारम्भ की तिथि को या के बाद अनुष्ठापित किया गया प्रत्येक बाल विवाह प्रारम्भ से ही शून्य होगा।'' ।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2013 की रिट पिटिशन (सिविल) नं0 382 शीर्ष ''इंडिपेंडेंट थॉट्स बनाम यू.ओ.आई. और अन्य'' के निर्णय के दौरान घोषित किया गया कि लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एक विशेष कानून है, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 से प्रबल है और आई.पी.सी. की धारा 375 के अनुच्छेद 2 में मौजूदा अपवाद के अनुसार नाबालिक पत्नी 15 से 18 वर्ष की आयु के साथ यौन क्रिया अनुचित व संविधान का उल्लंघन था। तदानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अनुच्छेद 2 में मौजूदा अपवाद को अमाननीय कर दिया है, जिसमें धारा 375 के अनुसार पुरूश और उसकी पत्नी 15 से 18 वर्ष की आयु में संभोग बलात्कार नहीं है, लेकिन जैसा कि पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार, यह बलात्कार की परिभाषा के अंतर्गत आता है। इस संबंध में दोनों कानूनी प्रावधानों पर पूरी तरह से विचार करने के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कर्नाटक राज्य द्वारा सबसे अच्छा समाधान खोजा गया है– कर्नाटक राज्य विधानमंडल ने धारा 3 में उप–धारा (1ए) सम्मिलित की है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 जिससे यह घोषित किया जाता है कि इसके बाद हर बाल विवाह पर रोक लगा दी जाती है, व शून्य है। तदानुसार 15 से 18 साल की उम्र के पुरूष और लड़की के बीच कोई भी वैवाहिक संबंध शून्य होगा और किसी भी प्रकार का संभोग को पोक्सो अधिनियम में बलात्कार के रूप में परिभाषित होगा। कर्नाटक संशोधन का प्रासंगिक विवरण इस प्रकार हैः– (1ए) बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 3 उप– धारा (1) में निहित कुछ भी नही के बावजूद, बाल विवाह प्रतिषेध (कर्नाटक संशोधन) अधिनियम, 2016 के लागू होने की तारीख पर या उसके बाद होने वाले प्रत्यके बाल विवाह पर रोक व शून्य होगी।

मानीनय शीर्ष न्यायालय द्वारा यह भी समीक्षा की कि सभी राज्य विधानसभाओं के लिए यह उचित होगा कि बाल विवाह को शून्य बनाने के लिए कर्नाटक राज्य द्वारा उठाए गए मार्ग को अपनाएं तथा तदानुसार सुनिश्चित करें कि बालिका व उसके पति के बीच संभोग को पोक्सो अधिनियम तथा आई.पी.सी. के तहत दंडित अपराध मानें। इसलिए यह जरूरी है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 3 में संशोधन हो।

तथानुसार, बिल।

कमलेश ढांडा,
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री,
हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 25 फरवरी, 2020.

आर० के० नांदल,
सचिव।

8700—H.V.S.—H.G.P.,Pkl.